

# Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 45-2024/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 15, 2024 (PHALGUNA 25, 1945 SAKA)

# हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

# अधिसूचना

दिनांकः 15 मार्च, 2024

संख्या 4/13/2024-2CI.— हरियाणा जिला आयोजना समिति गठन नियम, 1997 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 (1973 का 24) की धारा 203ख की उप—धारा (2) तथा धारा 257 की उप—धारा (1) के खण्ड (यxii), (यxiii) और (यxiv) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए / बनाने का प्रस्ताव करते हैं, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 257 की उप—धारा (5) द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात राज्य सरकार नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों के साथ, यदि कोई हो, जो आयुक्त एवं सचिव, हिरयाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चंडीगढ़ द्वारा किसी व्यक्ति से नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

## प्रारूप नियम

- 1. ये नियम हरियाणा जिला आयोजना समिति गठन (संशोधन) नियम, 2024 कहे जा सकते है।
- 2. हरियाणा जिला आयोजना समिति गठन नियम, 1997 में, नियम 3 में, उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
  - ''(3) (i) पच्चीस सदस्यीय समिति में, पांच सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और इसमें सम्बन्धित जिले का उपायुक्त, अपर उपायुक्त, जिला नगर योजनाकार, जिला नगरपालिका आयुक्त और प्रख्यात अर्थशास्त्रियों और योजना में अनुभव रखने वाले पेशेवर में से एक व्यक्ति शामिल होगा।

- (ii) बीस सदस्यीय समिति के मामले में, चार सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और इसमें उपायुक्त, अपर उपायुक्त, जिला नगर योजनाकार और जिला नगर आयुक्त शामिल होंगे। आगे बीस सदस्यीय समिति में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों या योजना में अनुभव रखने वाले पेशेवर में से एक व्यक्ति को समिति में सलाहकार के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकता है।
- (iii) लोकसभा और राज्य सभा के सदस्य और हिरयाणा विधान सभा के सदस्य सिनित की बैठकों में विशेष आंमित्रती होगें, किन्तु वे केवल ऐसी एक सिनित में विशेष आंमित्रत सदस्य होंगे। लोकसभा और राज्य सभा के सदस्यों और हिरयाणा विधान सभा के सदस्यों, जिनके निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिलों में आते है, के पास एक ऐसी सिनित चुनने का विकल्प होगा, जिसकी बैठक में वे विशेष आंमित्रती होगें। जिला योजनाओं को तैयार करने में सहायता करने वाले जिला अधिकारियों को सिनित में सलाहकार के रूप में नामिनिर्दिष्ट किया जा सकता है।"

विकास गुप्ता, आयुक्त एवम् सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

#### HARYANA GOVERNMENT

### URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

## Notification

The 15th March, 2024

**No. 4/13/2024-2CI.**— The following draft of the rules further to amend the Haryana Constitution of District Planning Committee Rules, 1997 which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 203B and clauses (zxii), (zxiii) and (zxiv) of sub-section (1) of section 257 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) is hereby published as required by sub-section (5) of section 257 of the said Act, for information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of the rules shall be taken into consideration by the State Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Commissioner and Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department, Chandigarh from any person in respect of the draft of the rules before the expiry of the period so specified.

## **Draft Rules**

- 1. These rules may be called the Haryana Constitution of District Planning Committee (Amendment) Rules, 2024.
- 2. In the Haryana Constitution of District Planning Committee Rules, 1997, in rule 3, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
  - "(3) (i) In the twenty-five members Committee, five members shall be nominated by the State Government and shall include The Deputy Commissioner, The Additional Deputy Commissioner, The District Town Planner of the concerned District, The District Municipal Commissioner and one person out of the eminent economists and professional having experience in planning.
  - (ii) In case of twenty members Committee, four members shall be nominated by the State Government and shall include Deputy Commissioner, Additional Deputy Commissioner, District Town Planner and District Municipal Commissioner. Further in the twenty members Committee one person out of eminent economists or professional having experience in planning may be nominated as consultants in the committee.
  - (iii) Members of the House of people and Council of State and the Members of Haryana Legislative Assembly shall be special invitees to the meetings of the Committee but they shall be special invitees only in one such Committee. Members of the House of People and Council of States and the members of the Haryana Legislative Assembly whose constituencies fall in more than one district shall have the option to choose one such Committee, in the meeting of which they shall be special invitees. The District Officers assisting in preparations of the district plans may be nominated as consultants in the Committee."

VIKAS GUPTA,
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Urban Local Bodies Department, Haryana.